(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1983–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–04–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 178/निगरानी/2010–11

.....

अय्यूब खॉ आ0 मुखत्यार खॉ
निवासी ग्राम देवली तहसील कुरवाई
जिला विदिशा

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मेहबूब खॉ आ0 मुखत्यार खॉ
2–मंगफूल खॉ आ0 मुखत्यार खॉ
दोनों निवासी ग्राम देवली तहसील कुरवाई
जिला विदिशा म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

एकपक्षीय – अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू0–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–04–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त कमांक 1/2 गंजबासौदा जिला विदिशा के समक्ष अनावेदकगण ने एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 110 संहिता की धारा 110 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गोहजी तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा की भूमि खसरा कमांक 48 रकबा 6.010 हैक्टर तथा खसरा कमांक 49 रकबा 2.874 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 8.884 हैक्टर भूमि के भूमिस्वामी मुखत्यारखॉ थे । जिन्होंने अपने जीवन काल में उक्त भूमि में से रकबा 6.874 हेक्टर भूमि अनावेदकगण को समान भाग तथा खसरा कमांक 48 का शेष रकबा 2.400 हेक्टर भूमि आवेदक को मौखिक हिबानामा द्वारा दिनांक 25—7—08 को दान कर मौके पर कब्जा दे दिया । अनावेदकगण की ओर से तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में आगे यह भी उल्लेख किया कि आवेदक एवं अनावेदकगण ने उक्त हिबानामा स्वीकार कर भूमियों पर कब्जा प्राप्त कर लिया था तभी से उभयपक्ष मौके पर काबिज हैं । अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 178 के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 6—8—08 को प्रस्तुत किया जो दिनांक 10—5—10 को वापिस लिया जाकर नामान्तरण आवेदन पेश किया । अनावेदकगण की ओर से तहसील न्यायालय में नामान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 79/अ—6/2009—10 दर्ज किया गया । अनावेदकगण की ओर से तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन का जबाव आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया कि उक्त हिबनामा में भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 2.400 हेक्टर भूमि दी थी तभी से अय्यूब खॉ भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 2.400 हेक्टर भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज चला आ रहा है । अनावेदकगण को दिये गये हिस्से में हिबनामा की मेमोरेण्डम में खसरा नम्बर 49 रकबा 2.400 हेक्टर को अनावेदकगण द्वारा मेन्यूप्लेट करके अर्थात् ओवरराईटिंग कर 48 नम्बर को 49 नम्बर कर दिया है । इस मेमोरेण्डम की एक प्रति स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा बरेठ में पेश की गई है । इस कारण उक्त भूमियों में से भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 2.400 हेक्टर भूमि पर आवेदक ने अपना नामान्तरण स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया । उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय ने प्रकरण दिनांक 9—5—2011 को नियत किया । उक्त दिनांक को आवेदक की ओर से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि साक्ष्य के पूर्व बटवारा प्रकरण तलब किया जावे । उक्त आवेदन पत्र पर विधिवत्

सुनवाई किये बगैर साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर दिया । उक्त आदेश दिनांक 9–5–2011 के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम निगरानी अपर कलेक्टर न्यायालय विदिशा के समक्ष प्रस्तुत की जो आलोच्य आदेश दिनांक 02–04–2012 द्वारा निरस्त कर दी गई । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–4–12 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क में बताया है कि अपर कलेक्टर न्यायालय ने अपना आलोच्य आदेश पारित किये जाने के पूर्व इस ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रकरण में यह विवादित तथ्य है कि भूमि खसरा नम्बर 48 अथवा 49 आवेदक अथवा अनावेदक को हिबा किया गया है । आवेदक ने अनावेदकगण पर यह आरोप लगया है कि उन्होंने मेमोरेण्डम जो कि हिबानामा के संबंध में है, में अनावेदकगण द्वारा ओवरराईटिंग की है । इस तथ्य को सिद्ध करने का भार आवेदक पर है । इसलिये आवेदक ने साक्षियों का प्रतिपरीक्षण करने के पूर्व अनावेदकगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत संहिता की धारा 178 का आवेदन पत्र अनावेदकगण द्वारा उक्त मेमोंरेण्डम की प्रति प्रस्तुत की तथा उक्त प्रकरण को बुलाने का निवेदन किया । जिसे अस्वीकार कर विचारण न्यायालय ने गंभीर वैधानिक भूल की है । तर्क में यह भी बताया कि कलेक्टर न्यायालय ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि विचारण न्यायालय पूर्व में ही साक्षियों के प्रति परीक्षण हेतु तीन अवसर दे चुका था तो व्यय पर न्यायहित में एक अवसर और दिया जा सकता था किन्तु साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर गंभीर बैधानिक भूल की है । अतः में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा साक्ष्यों का प्रति

परीक्षण कई पेशियों पर नहीं किया तथा समय की मॉग की । आवेदक ने 13 सी.पी.सी. 10 का जो आवेदन पेश किया वह काफी बाद में किया अतः उसका यह तर्क कि साक्ष्यों का कूट परीक्षण उसके आवेदन से जुड़ा था, मानने योग्य नहीं है तथा उक्त आवेदन मात्र विलम्ब करने की दृष्टि से दिया जाना प्रतीत होता है । वैसे भी अपने पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार आवेदक का था तथा वह चाहता तो वह जिस प्रकरण को बुलाना चाह रहा था – प्रमाणित प्रतिलिपिया प्राप्त कर प्रस्तुत करता ।

6– उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आवेदक की आपत्ति निराधार है अतः निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर